


24.1.23

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा. प. किये गये। अप्रार्थीगण को कितने बार रुक रुक कर आवाजे दिलाये जाने के बाद उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जा रहा है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्ठक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम है।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भोलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 247/22 प्रा०पत्र

मुखा श्री गंगाराम कुमावत निवासी- छाणवो कासोडा तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

वनाम

शेकर श्री रामचन्द्र कुमावत निवासी- छाणवो कासोडा तहसील-माण्डल

पक्षीश्री श्री रामचन्द्र कुमावत " " "

श्री ककमणी देवी श्री रामचन्द्र कुमावत " " "

ताजस्थान राज्य जारिए तहसीलदार श्री माण्डल तहसील-माण्डल

--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :- 24-01-23

::आदेश::

श्री ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम छाणवो कासोडा पटवार हल्का कैरिया तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं. 2010/737 कुल किता 01 रकबा 0.0632 र स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाधिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07-12-22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को निकनार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी कराने का गयी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते निस्तार्गेक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम छाणवो कासोडा पटवार हल्का कैरिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2010/737 कुल किता 01 रकबा 0.0632 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आत्मगारा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगद्दी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा